

बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र05(2)बजट(गै0यो0)-29/2014-30 (वेतन) खाद्य,पटना-15,दिनांक-19-09-17

प्रेषक,

भरत कुमार दूबे,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

सदस्य सचिव-सह-
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
बिहार राज्य खाद्य आयोग,
बिहार, पटना ।

विषय :-

मुख्यशीर्ष 3456, सिविल पूर्ति, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 001 निदेशन तथा प्रशासन, उपशीर्ष 0006 बिहार राज्य खाद्य आयोग, विपत्र कोड सं0-18-3456000010006, के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रथम अनुपूरक से प्राप्त राशि 79,81,000 रुपये (उन्नासी लाख एकासी हजार) मात्र का आवंटन एवं व्यय की स्वीकृति ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष यथा: मुख्यशीर्ष 3456, सिविल पूर्ति, उप मुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 001 निदेशन तथा प्रशासन, उपशीर्ष 0006 बिहार राज्य खाद्य आयोग, विपत्र कोड सं0-18-3456000010006 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रथम अनुपूरक से प्राप्त राशि को वित्त विभाग के पत्रांक 2561/वि0 दिनांक 17.04.1998, पत्रांक 942 दिनांक-01.09.2017 एवं पत्रांक 428 दिनांक 31.03.2017 में निहित निदेशों के आलोक में निम्नांकित तालिका के अनुसार राशि आवंटित किया जाता है:-


तालिका

क्र	विस्तृत शीर्ष	विषय शीर्ष	बजट उपबंध	पुनरीक्षित उपबंध	आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6
	01 वेतन	01 वेतन	13,79,000	59,16,000	45,37,000
		03 जीवन यापन भत्ता	18,07,000	36,38,000	18,31,000
		04 मकान किराया भत्ता	3,31,000	13,43,000	10,12,000
		05 परिवहन भत्ता	38,000	90,000	52,000
		06 चिकित्सा भत्ता	10,000	25,000	15,000
		07 अन्य भत्ता	1,000	5,35,000	5,34,000
	योग- 18-3456.00.001.0006.01-वेतन		35,66,000	1,15,47,000	79,81,000
	कुल योग-18-3456-00.001.0006 बिहार राज्य खाद्य आयोग		35,66,000	1,15,47,000	79,81,000


कुल-79,81,000 रुपये (उन्नासी लाख एकासी हजार) मात्र

2. कुल रुपये 79,81,000 रुपये (उन्नासी लाख एकासी हजार) मात्र का आवंटन इस आवंटनादेश से निर्गत किया जा रहा है ।


3. व्यय वहन मुख्यशीर्ष 3456, सिविल पूर्ति, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 001 निदेशन तथा प्रशासन, उपशीर्ष 0006 बिहार राज्य खाद्य आयोग विपत्र कोड सं०-18-3456000010006, के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए उपबंधित राशि के अन्तर्गत होगा ।
4. राशि की निकासी विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार राज्य खाद्य आयोग द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी ।
5. वित्त विभाग के पत्रांक 942 दिनांक 01.09.2017, परिपत्र सं०-2561/वि० (2) दिनांक 17.04.1998, 3002 दिनांक 26.04.2017 एवं पत्र सं०-428/वि० दिनांक 31.03.2017 के आलोक में आवंटन आदेश निर्गत किया जा रहा है । स्थापना प्रतिबद्ध व्यय मदों में व्यय पूरे वर्ष के लिए किये गये बजट उपबंध के अनुसार ही आवश्यकता को देखते हुए किया जायेगा । महालेखाकार से व्यय का नियमित रूप से मिलान कराया जाय तथा निकासी के समय वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत परिपत्रों का पालन किया जाय । निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र में यह अंकित किया जायेगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटन के राशि के अधीन है । संबंधित विपत्र में विभाग के आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का भी उल्लेख कराना होगा जिसके आधार पर संबंधित विपत्र में निहित राशि की निकासी की जा रही है ।
6. वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय नहीं हो सकने वाली राशि का प्रत्येक सरामय आवश्यक कर दिया जाए ।
7. दिए गए आवंटन में सचिव का अनुमोदन प्राप्त है ।

विश्वासभाजक

 सरकार के विशेष सचिव ।


ज्ञापक-प्र०५(२)बजट-(गै०यो०)-२९/२०१४-३० (वर्ष २) खाद्य, पटना/दिनांक-१९-०९-१७
 प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित


 सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापक-प्र०५(२)बजट-(गै०यो०)-२९/२०१४-३० (वर्ष २) खाद्य, पटना/दिनांक-१९-०९-१७
 प्रतिलिपि-वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार,
 सिंचाई भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


 सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापक-प्र०५(२)बजट-(गै०यो०)-२९/२०१४-३० (वर्ष २) खाद्य, पटना/दिनांक-१९-०९-१७
 प्रतिलिपि-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी-६ एवं ५ (लेखा शाखा को दो प्रतियों में) एवं आई० टी० मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।


 सरकार के विशेष सचिव ।